...ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/8/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी के खेत मौज रतकोडिया, पटवार क्षैत्र आरंग तह0 शिव जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 3, 11 रकबा क्रमशः 44.10, 6.11 बीघा कुल रकबा 51.01 बीघा किस्म बा0चा0 के आये हुआ हैं। उक्त भूमि क्रय की उस समय वादी का नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दलपतसिंह पुत्र अलसिह के स्थान पर अज्ञानतावंश दलपतदान पुत्र अलसीदान लिखवा दिया। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम दलपतसिंह पुत्र अलसिह ही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 3, 11 रकबा क्रमशः 44.10, 6.11 बीघा कुल रकबा 51.01 बीघा भूमि, मौजा रतकोडिया, पटवार मण्डल आंरग, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम दलपतदान पुत्र अलसीदान के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र अलसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर सहायक कलेक्टर (SDO) शिव न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव ...	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– दलपतसिह पुत्र अलसिंह, जाति– चारण, नि0 रतकोडिया, तह0 शिव
बनाम
प्रतिवादी :– राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी राज पैराकार उप0।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है किः–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 3, 11 रकबा क्रमशः 44.10, 6.11 बीघा कुल रकबा 51.01 बीघा भूमि, मौजा रतकोडिया, पटवार मण्डल आंरग, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम दलपतदान पुत्र अलसीदान के स्थान पर दलपतसिंह पुत्र अलसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.14 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: